मूलवाद सं. 56/16

असरफ खा बनाम भूरेलाल

24.2.18

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ता को वाद विन्दु संख्या 2 व 3 व 4 पर सुना गया।

निस्तारण वाद विन्दु संख्या 2 एवं 3 :–

वाद विन्दु संख्या 2 इस आशय का विरचित किया गया है कि – क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?

वाद विन्दु संख्या 3 इस आशय का विरचित किया गया कि – क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

उपरोक्त दोनो वाद विन्दु प्रतिवादीगण के अभिवाक पर विरचित किये गये है, जिन्हे सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है।

प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वादीगण द्वारा वाद का कम मूल्यांकन किया गया है तथा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है। उक्त सम्बन्ध मे वादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उन्होने वाद का मूल्यांकन प्रश्नगत स्थल का मूल्यांकन 1000रू. किया गया हैचूकि दावा स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति का है इसलिए उपशम अ हेतु इस मूल्यांकन के 1/5 भाग मुबलिग 200रू0 पर न्यायशुल्क 22. 50 रू0 अदा की जा रही है जो कि उचित है। मुसरिम आख्या दिनांकित 12.5.16 के अनुसार न्यायालय शुल्क व प्रसार शुल्क पर्याप्त चस्पा किया गया है। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त वाद विन्दुओ के सम्बन्ध में कोई अभिलेखीय साक्ष्य दाखिल नही किया गया है और न ही उक्त वाद विन्दुओ के सम्बन्ध में कोई बल नही दिया गया है। अतः साक्ष्य के अभाव में वह विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा बल न दिये जाने के आधार पर न्यायालय के मत में वादीगण द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन किया गया है चूंकि वादिनी द्वारा उसी मूल्यांकन के आधार पर न्यायालय शुल्क अदा किया गया है अतः प्रदत्त न्यायशुल्क भी पर्याप्त अदा किया जाना पाया जाता है। तदनुसार वाद बिन्दु संख्या 2 एवं 3 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत किये जाते है।

निस्तारण वाद विन्दु संख्या–4 :–

वाद विन्दु संख्या 4 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या न्यायालय को उक्त वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है?

प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि न्यायालय को उक्त वाद के श्रवण का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। जिसका वादी अधिवक्ता द्वारा विरोध किया गया।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी के द्वारा यह वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा हेतु योजित किया गया है । चूकि वाद विन्दु संख्या 2 का निस्तारण वाद मूल्यांकन के सम्बन्ध मे वादी के पक्ष मे किया जा चुका है। ऐसे में वादग्रस्त सम्पत्ति के सम्बन्ध मे इस न्यायालय को आर्थिक स्थानीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी ऐसा कोई भी दलील व साक्ष्य इस स्तर पर पेश नही कर सका जिससे यह साबित हो सके कि न्यायालय को उक्त वाद के श्रवण का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है।

आदेश

वाद विन्दु संख्या 4 वादी के पक्ष व विरूद्ध प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य हेतुं दिनांक 17.3.18 को पेश हो।

सिविल जज,जू0डि0,भोगनीपुंर,
कानपुर देहात।